NO. EDN-A-Ka (1)-17/2016-loose
Government of Himachal Pradesh
Department of Higher Education

From

The Secretary (Education) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-2

To

The Director Higher Education,
Himachal Pradesh, Shimla-171001

Dated, Shimla-171002 the 22nd, October, 2020

Subject: Implementation of Reservation policy reg. Ex-Servicemen, widow of Soldiers and their dependents.

Sir

I am directed to enclose herewith a photocopy of D.O. No. एस0डब्ल्यफ0डीएफ 10–8/2020 dated: 28.09.2020 received from Sh. Mahender Singh, Jal Sakti, Horticulture and Sanik Walfare Minister on the subject cited above and to request you to look into the matter and take further necessary action accordingly.

Yours faithfully,

(Navneet Kapoor)
Joint Secretary (Hr. Edu.) to the,
Government of Himachal Pradesh.

*****

Sh. G.N. Sharma
(for Circulation)
26/10/20

(53)

महेन्द्र सिंह ठाकुर

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य,
उद्यान व सैनिक कल्याण मंत्री
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 002
दूरभाष : 0177-2621938 (का.)
0177-2625754 (आ.)
98059-65952 (मो.)

5516/5423
19/10/20

हिमाचल प्रदेश सरकार

अ0शा0 पत्र सं0 एस0डब्लयु0डी0ऐफ) 10-8/2020
दिनांकः शिमला-2 28-09-2020

भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, सैनिक विधवाओं, व उनके आश्रितों के कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं को भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के माध्यम से बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिकों के पंजीकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अलग से निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग हमीरपुर में एक भूतपूर्व सैनिक रोजगार कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को सरकार द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत आरक्षण नीति के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों में रोजगार उपलब्ध करवाना है।

सशस्त्र सेना के जवान सेना से 35 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत हो जाते है तथा इस अवस्था में उनपर अपने परिवार की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पुर्नवास/पुनः रोजगार हेतु सरकारी विभागों में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु सरकारी नौकरियों में 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

यद्यपि सरकार रिक्त पदों को समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार भर रही है परन्तु राज्य के विभिन्न विभागों में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदारों को उनकी आरक्षण प्रतिशतता के अनुरुप निर्धारित रोस्टर बिन्दु अनुसार प्रत्येक संवर्ग में समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में विलम्ब हो रहा है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, मै विनम्रतापूर्वक आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आपके विभाग में भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पदों को समय-समय पर प्राथमिकता के आधार पर भरने के साथ जब भी भूतपूर्व सैनिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए तो उनके नियुक्ति पत्रो की प्रति निदेशक सैनिक कल्याण विभाग को भेजें तथा अवगत करवाएं। पुनः रोजगार प्रदान करना वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण की दिशा में एक सही कदम होगा।

(महेन्द्र सिंह)

Special Secy (EDU)
3/X/20

17/X

समस्त सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार

17-10-2020

SO. Y.S

(8)

17 Oct